[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना संख्या 83/2020 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 नवंबर, 2020

सा.का.नि……... (अ) -केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 74/ 2020-केंद्रीय कर, तारीख 15 अक्टूबर, 2020 संख्या सा.का.नि.634 (अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 75/ 2020-केंद्रीय कर, तारीख 15 अक्टूबर, 2020 संख्या सा.का.नि.635 (अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचनाओं का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अवधि के लिए, समय सीमा का विस्तार ऐसी कर अवधि के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करता है :

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फ़ा.सं. सीबीईसी 20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार